21.04.26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय प. उप.। प्रा.पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GOMS
2025/17

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 4/2025

GCMS:- 2025/17

–: अनवान :–

सरपंच ग्राम पंचायत 6 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ जरिये सरपंच केसराराम टाक

बनाम ... प्रार्थी

1. महावीर प्रसाद पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी 22 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. पृथ्वीराज पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. बृजलाल पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री रामनारायण जालप, अधिवक्ता प्राथींगण
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, पूनम बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 21.04.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 8 डी.डब्ल्यू.एम. पत्थर नम्बर 155/62 में पक्की डामर रोड़ से होकर अप्रार्थीगण के पत्थर नम्बर 175/6 के किला नम्बर 21 ता 25 से रास्ता होकर पत्थर नम्बर 175/6 में मिलकर आगे ढ़ाणियों की ओर जाता हैं। बीच में से रास्ता आवागमन हो रहा हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं हैं। पत्थर नम्बर 175/6 के पश्चिम दिशा में पक्की सड़क चल रही हैं। पत्थर नम्बर 175/6 में स्वीकृत रास्ता नहीं होने के कारण काश्तकारो को काफी परेशानी उठानी पड़ती हैं। काश्तकार काफी वर्षो से पत्थर नम्बर 155/62 में पक्की डामर रोड़ से होकर अप्रार्थी पत्थर नम्बर 175/6 के किला नम्बर 21 ता 25 से आवागमन करते आ रहे हैं। उक्त रास्ता डामर सड़क से जुड़ता हैं। जिससे चक से सभी रास्ता में आवागमन किया जा सकता हैं। अप्रार्थी महावीर प्रसाद के नाम से कृषि भूमि में से चक 8 डी.डब्ल्यू.एम. पटवार हल्का 4 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 175/6(54) के किला नम्बर 21 में 0.0250 हैक्टेयर चौड़ाई में दक्षिण पासा, अप्रार्थी न. 1 ता 3 पृथ्वीराज [illegible] महावीर पिसरान हरीराम के नाम से संयुक्त खाता में कृषि भूमि चक 8 डी.डब्ल्यू.एम. पटवार हल्का 4 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 175/6(54) के किला नम्बर 22 ता 25 के प्रत्येक 0.0250 हैक्टेयर चौड़ाई में दक्षिण पासा स्वीकृत करवाना चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन हैं कि चक 8 डी.डब्ल्यू.एम. पटवार हल्का 4 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्याः– 4/2025)

सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 175/6(54) के किला नम्बर 21 ता 25 के प्रत्येक 0.0250 हैक्टेयर चौड़ाई में दक्षिण पासा रास्ता मंजूर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को दिये जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जरिये अभिभाषक हाजिर आये तथा अपना जवाब लिखित में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी चक 8 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नम्बर 175/6(54) के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 2 –2 बिस्वा चौड़ाई में जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं जो कतई गलत व गैरकानूनी हैं। प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं कि काश्तकार पत्थर नम्बर 155/62 में पक्की डामर रोड़ से होकर अप्रार्थी के पत्थर नम्बर 175/6 के किला नम्बर 21 ता 25 से आवागमन करते आ रहे हैं, यहां यह पता ही नहीं चलता कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अपने लिए रास्ता मांगा हैं या अप्रार्थीगण के लिए पहले तो यह स्पष्ट करे। पत्थर नम्बर 175/6 के किला नम्बर 21 ता 25 में कोई चालू रास्ता न तो आज हैं व न ही कभी पहले यहां रास्ता चला था। यह प्रार्थना पत्र ग्राम 6 डी.डब्ल्यू.एम. जरिये सरपंच केसराराम टाक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हैं। पंचायत ने यह नहीं बताया कि पंचायत का इस चक में कोनसा रकबा हैं जहां तक पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण के पत्थर नम्बर 175/6 में से रास्ता स्वीकार किया जाना जरूरी हैं। प्रार्थी पंचायत का इस चक में रकबा नहीं होने व चाहे जाने वाले मुरब्बा में से क्यों सुविधाजनक रास्ता हैं। प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त किया जावे। चक 8 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नम्बर 175/6 के किला नम्बर 21 ता 25 में से रास्ता स्वीकार करने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए के तहत पहले भी प्रस्तुत किया गया था जो इसी अदालत द्वारा दिनांक 12.03.2016 को सभी पक्षो को सुन कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। इस अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2016 के विरूद्ध धर्मपाल पुत्र सुरजाराम जिसका रकबा इसी चक के पत्थर नम्बर 175/15 में खातेदारी हैं, में जाने के लिए रास्ते की मांग की गई थी जिसमें न्यायालय ने माना था कि इसी चक के पत्थर नम्बर 175/14 व 175/22 में से पहले ही रास्ता स्वीकृत होकर चल रहा हैं। इसलिए नये रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता नहीं हैं। इस प्रकरण में इसी चक के पत्थर नम्बर 155/62, 175/14, 175/22 व अन्य मुरब्बो को जोड़ने के लिए पत्थर नम्बर 175/6 में से रास्ता की मांग की गई थी, का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2016 के विरूद्ध एक अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर की अदालत में प्रस्तुत की गई थी जो अपील न. 79/2016 पर दर्ज की जाकर दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात अदालत द्वारा अपील दिनांक 01.07.2016 को खारिज कर इस अदालत का निर्णय दिनांक 12.03.2016 को बहाल रखा गया था। माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने अपील के निर्णय दिनांक 01.07.2016 में स्पष्ट लिखा है कि अपीलांट ने यह अपील कानूनी प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुए प्रस्तुत की हैं फिर भी सरपंच पद पर रहते हुए सारे तथ्यों को छिपाकर अदालत को अंधेरे में रख कर किसी अन्य व्यक्ति के कहने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्याः– 4/2025)

पर यह छलकपट करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो व्यक्ति अदालत में स्वच्छ हाथो से न आकर छलकपट करके अदालत में आता हैं उसे अदालत से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं हैं, पटवारी की रिपोर्ट में अंकन हैं कि जमाबंदी में किला नम्बर 21 में राजस्व अपील प्राधिकारी साहब के स्थगन का नोट लगा हुआ हैं व अदालत से तथ्य छिपाकर अदालत से जानबूझकर तथ्य छिपाये गये हैं उसके लिए प्रार्थी सरपंच को भारी कोस्ट लगाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति जानबूझकर दस्तावेजी साक्ष्यों को छिपाकर अदालत से गैरकानूनी आदेश पारित करवाने की हिम्मत न करे। प्रार्थी ने जानबूझकर तथ्य छिपाकर यह प्रार्थना पत्र लगाकर अदालत का कीमती समय नष्ट किया हैं व अप्रार्थीगण को आर्थिक व मानसिक हानि पहुंचाई हैं इसलिए भी प्रार्थी को भारी कोस्ट लगाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने कहीं नहीं बताया है कि उसका रकबा किसी मुरब्बा में कौनसे किले हैं, अपने प्रार्थना पत्र में जिन मुरब्बों का अप्रार्थीगण के रकबा से उतर व दक्षिण में पक्की डामर रोड़ चल रहीं हैं व अप्रार्थीगण के दक्षिण वाले व पूर्व वाले मुरब्बों के पूर्व से सड़क चल रही हैं उन लोगो को भी रास्ते की आवश्यकता नहीं हैं। अप्रार्थीगण के पत्थर नम्बर 175/6 के किला न. 21 ता 25 में जहां रास्ता चाहा गया हैं, उसके किला नम्बर 25 के उपर पत्थर नम्बर 175/14 का किला नम्बर 21 अप्रार्थीगण के किला नम्बर 25 से करीब 12 फिट उंचा हैं व पत्थर नम्बर 175/14 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में पक्का खाला हैं जो पत्थर 175/6 से करीब 12 फिट उंचा हैं व उस पर कोई पुलिया भी नहीं बनी हुई हैं व न ही इस रास्ते की आवश्यकता हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करके निवेदन हैं कि उपरवर्णित आधारो पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदालत से जानबूझकर तथ्य छिपाकर धोखा में रख कर आदेश करवाने के असफल प्रयास के लिए भारी कोस्ट लगाई जावे व प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। श्रीमान जी की कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट तहसीलदार पूर्व में आ जाने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता हैं इसलिए चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्यां 1 ता 3 ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम पंचायत का सरपंच है, काश्तकार नहीं हैं। धारा 251क में यह प्रावधान किया गया हैं कि कोई अभिधारी आवश्यकता होने पर जो कि आत्यांतिक आवश्यकता हैं और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं तथा वैकल्पिक साधन अथवा मार्ग का अभाव सिद्ध होता हो तो ही रास्ता स्वीकृत करवा सकता है, जबकि इस प्रकरण में प्रार्थी ना तो अभिधारी हैं और ना ही रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता हैं, रास्ता की सुविधा पूर्व में ही मौजूद हैं फिर भी मात्र सुविधा के लिए रास्ता मांग रहे हैं जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हैं। इसके अलावा इस रास्ता के संबंध में पूर्व में इसी अदालत में प्रकरण संख्या 95/2015 दिनांक 12.03.2016 को निर्णित किया जाकर प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति बाबत निरस्त किया जा चुका हैं जिसकी अपील भी माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील संख्या 79/2016 प्रस्तुत की गई जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्याः– 4/2025)

दिनांक 01.07.2016 को निरस्त की जा चुकी हैं जिसमें भी माना कि मात्र सुविधा के लिए नया रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। इसलिए निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व रिपोर्ट तहसीलदार व नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिपोर्ट व नक्शा के अवलोकन अनुसार प्रार्थी द्वारा पत्थर नम्बर 175/6 किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता की मांग की हैं ताकि इससे आगे वाले पत्थर नम्बर में मौजूद रास्ता से यह रास्ता जुड़ जाये। प्रार्थी द्वारा यह नहीं बताया हैं कि उसे कोनसा रकबा के लिए रास्ता की आत्यांकित आवश्यकता हैं। प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार अप्रार्थीगण के चिपते हुए लगभग सभी रकबा में रास्ता की सुविधा मौजूद हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस अदालत के पूर्व निर्णय व माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय अनुसार केवल मात्र सुविधा के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता हैं जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मात्र सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रस्तुत किया हैं जो स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:36 IST
Reason: SelfAttested